न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 136 / 2011

1 श्रीमती मूर्ति देवी पत्नी मातादीन जाति मेघवाल निवासी बिहारीपूर तहसील नीमकाथाना हाल आबाद मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 गिरधारी आयु 80 साल
2 माडूराम आयु 36 साल जाति मेघवाल निवासीगण जहाज मणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
3 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
4 उप पंजीयक खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी उनवानी श्रीमती मूर्ति देवी बनाम गिरधारी वगै. मु.नं. 290 / 2007 ता. निर्णय व डिक्री 17.10.2011

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल , अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

–निर्णय–

दिनांकः– 6/3/15

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 290/2007 में पारित निर्णय दिनांक 17.10.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया अपीलान्ट ने एक वाद घोषणात्मक, खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर 293, 334, 695, 615 वाके ग्राम श्यामपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की प्लींडिग का रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया। अपीलान्ट ने अपील प्लींडिग को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का भी कोई खण्डन रेस्पोडेन्ट द्वारा नहीं किया गया है। अपीलान्ट की माता अणची देवी श्रीमती सारली देवी की पुत्री है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सारली देवी की वारिस नहीं मानने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट की माता सारली देवी की पुत्री है। अपीलान्ट की माता की वारिस अपीलान्ट है विवादित आराजी अपीलान्ट को उतराधिकार में मिली है। कानून से वारिस के संबंध में जो पक्षकार अपने आपको वारिस होने के बाबत कथन करता है उस सूरत में उसको साबित करने का भार उस पक्षकार पर नहीं होता बल्कि नकारात्मक उतर देने वाले पक्षकार पर होता है। उक्त कानूनी बिन्दू को विचारण न्यायालय ने नजर अन्दाज कर निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर बहस को अपास्त किया जाकर अपीलान्ट का दावा बहक अपीलान्ट निर्णित कर डिक्री किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2001(3) एससी पेज 440 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने पैतृक आधार पर खातेदारी की उद्घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय में वादी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2012–15 (प्रदर्श–1), संवत 2049–52 (प्रदर्श–2), संवत 2053–56 (प्रदर्श–3), नकल मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–4), नकल नक्शा ट्रेस (प्रदर्श–5), प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत खरकड़ा (प्रदर्श–6), प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बिहारीपुर (प्रदर्श–7), प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मेहाड़ा जाटूवास (प्रदर्श–8), फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र गोपीराम (पी.डब्ल्यू–2), रोहिताश (पी.डब्ल्यू–3) भी पेश किये गये। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में बाद सुनवाई पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर